न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जिला जयपुर
बइजलास श्री राजेश मीना **R.A.S**

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
53 / 2016	12.07.2016	24.11.2025

1- रामगोपाल पुत्र स्व० लादया
2- रामकिशोर पुत्र स्व० लादया
3- कैलाश पुत्र स्व० लादया
समस्त जातियान् हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सायपुर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1- सोनी देवी पत्नि स्व० नारायण
2- माया देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद
3- रूकमणी देवी पत्नि सत्यनारायण
समस्त जातियान् हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सायपुर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
4- रामचरण साहू पुत्र श्री कजोड़मल साहू जाति तेली, निवासी आधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उप तहसील आधी जिला जयपुर ।
6- उपपंजीयक आंधी उप तहसील आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वादी वकील – श्री राजेश कुमार पारीक
प्रतिवादीगण वकील – श्री रामकरण शर्मा

दावा बाबत, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 सपठित धारा 207
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :–

वादी ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वाके ग्राम सायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील जमवारामगढ़ में आराजी कृषि भूमि खसरा नं. 240 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा स्थित थी जिसमें हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार नारायण एवं हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार लाया थे। उक्त भूमि के

...लक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा 1/2 के खातेदार नारायण ने अपने हिस्से 1/2 (279/558) में से 3 बीघा 10 बिस्वा (हिस्सा 140/558) का वैचान महादेव पुत्र छीतर को जरिये रजिस्टर्ड डीड से बैचान कर दी एवं रिकार्ड में नारायण द्वारा बैचान की गई भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा को महादेव के नाम पृथक कर दिया गया एवं महादेव के नाम भूमि खसरा नं. 200/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दी गई शेष भूमि खसरा नं. 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा को पृथक किया गया इस प्रकार खसरा नं. 240/2 में नारायण का हिस्सा 139/418, लादया का हिस्सा 279/418 हुआ प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम खसरा नं. 240/2 में भी हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया एवं हिस्सा 1/2 वादीगण के नाम दर्ज किया गया जबकि पूर्व खसरा नं. 240 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में हिस्सा 1/2 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वैचान सोनी के पिता नारायण ने महादेव को कर दिया था इसके बाद प्रतिवादीया संख्या 1 का खसरा नं. 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 139/418 ही वास्तविक हिस्सा रहा था शेप हिस्सा 279/418 वादीगण का दर्ज होना चाहिये। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज हिस्सा 1/2 का नाजायज लाभउठाकर प्रतिवादीया संख्या 1 ने उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण का अधिकारी विहीन बैचान प्रतिवादीया संख्या 2 एवं 3 को कर दिया जिसके बाद प्रतिवादीया संख्या 2 एवं 3 ने वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/2 दर्ज करवा लिया। बादीगण को रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का ज्ञान पहले नहीं हो सका दिनांक 21-12-2012 को रहन मुक्त के नामान्तकरण के संबंध में पटवार हल्का से मिलने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई इसके बाद प्रतिवादीया 1 से 3 ने दुरूस्ती करवाकर रिकार्ड सही करादाने का आश्वासन दिया फिर टालमटोल करते रहे दिनांक 10-3-2013 को राजस्व अभियान में वादीगण ने दुरूस्ती हेतु आवेदन किया परन्तु कोे कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 25-8-2013 को प्रतिवादी संख्या 2. 3 बैचान करते की नियत से भूमि को दिखाने लगी और भूमि को बैचान करने की धमकीयां देने लगी तब वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा, बटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्य सहखातेदारी भूमियों के बटवारे के वाद के साथ ही पेश किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 50/2013 को प्रतिवादीगण ने न्यायालय को मुगालते में रखकर अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 22-3-2016 को खारिज करवा लिया और न्यायालय ने सहवन से खारिज कर दिया जिसको दिनांक 5-5-2016 को रेस्टोर किया गया जिसके नया मुकदमा संख्या 34/2016 है. इसी बीच बदनियती पूर्वक प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 ने रिकार्ड में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज होने का सदोष लाभ उठाकर एवं वादीगण को सदोष हानि पहुंचाने की गरज से प्रतिवादी संख्या 4 को खसरा नं. 240/2 में दर्ज हिस्सा 1/2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with OKEN Scanner

सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7-4-2016 को अधिकार विहीन बैचान कर दिया जबकि प्रतिवादीया संख्या 2 एवं 3 का वास्तविक हिस्सा 139/418 था एवं वादीगण का वास्तविक हिस्सा 279/418 है। वादीगण ने अपना उक्त वाद संख्या 34/16 उनवानी रामगोपाल बनाम सोनी घोषणा, बटवारा स्थाई निषेधाज्ञा पुनः यह नया वाद पेश करने की स्वीकृति के साथ विड्रॉ कर लिया है इसलिए मात्र खसरा न. 240/2 बाबत घोषण खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। नारायण द्वारा पूर्व खसरा नं. 240 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में अपने हिस्से 1/2 में से 3 बीघा 10 बिस्वा (हिस्सा 140/558) महादेव को बैचान करने के बाद उसके हिस्से की कुल भूमि हिस्सा 139/555 शेष रही एवं हिस्सा 279/558 वादीगण की रही थी जिसके पृथक खसरा नं. 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में वादीगण का हिस्सा 209/418 एवं प्रतिवादीबा संख्या 1 का हिस्सा 139/418 दर्ज होना चाहिये था, रिकार्ड की गलती से हिस्सा 1/2 दर्ज होने से सम्पूर्ण का बैचान प्रतिवादीया संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को एवं तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 व ३ ने प्रतिवादी संख्या 4 को कर दिया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी अपने वास्तविक हिस्से पर ही काबिज है, वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 नहीं है इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को है परन्तु जानबूझकर प्रतिवादीगण ने भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं सदोष लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से अधिकार विहीन विक्रय पत्र निष्पादित किये है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को किया गया विकय पत्र एवं तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2.3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को किया गया विकय पत्र वादीगण के अधिकारों की सीमा तक प्रभाव शून्य है. प्रारम्भ से ही नल एण्ड वॉइड है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के विधिक खातेदारी अधिकारों पर नहीं पडता है, रिकार्ड में गलत हिस्से दर्ज होने से एवं उसका नाजायज लाभ उठाने के उदेश्य से किये गये नुमाइशी बैचान पत्रों से वादीगण के हित समाप्त नहीं हो सकते है। वादीगण अधिकारी है कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 240/2 में अपना निहित हित हिस्सा 279/418 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सों को दुरूस्त करवा कर वादीगण का संयुक्त हिस्सा 279/418, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 139/418 दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने वास्तविक हिस्से से अधिक किये गये बैचान पत्रों को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी घोषित करावे।

(क.) यह कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी डिकी किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमियां खसरा नं. 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा ग्राम

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with OKEN Scanner

सायपुर पटवर हल्का रायपुर तहसील जमवारामगढ में वादीग्रण को संयुक्त रूप से हिस्सा 279/418 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से को हजफ किया जाकर वादीगण का हिस्सा 279/418 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 139/418, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अधिकारों के प्रतिकूल राजस्व रिकार्ड में कराये गये इन्द्राज को तथा प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी घोषित किया जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें तथा उनकी काश्त में दखल नहीं करें, और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाब दावा मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया। प्रारम्भिक आपत्ति मे अंकित किया कि वाद पत्र का मद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं आधारहीन होने से अस्वीकार है। मिनउत्तरदाता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीददार काबिज खातेदार हैं। वादी रामगोपाल ने उक्त वाद से पूर्व पहले अपने आप को नारायण का दत्तक पुत्र बताकर खातेदारी अपने नाम करवा ली थीं, तब खसरा नंबर 240 में रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा हीं था उस समय प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अपील अधिकारी के अपील संख्या 18/1988 पेश कर अपने आपको खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा के साथ अन्य नम्बरों की खातेदारी डिक्री 1/2 हिस्से की प्राप्त की तथा 1/2 हिस्से की डिक्री नाथू पुत्र खैरू ने प्राप्त की तथा राजस्व रिकार्ड वादी रामगोपाल का नाम हजफ करने के आदेश दिये इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को वादांकित भूमि खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा जरिये निर्णय दिनांक 03.02.1992 को प्राप्त हुई जिस डिक्री को पूर्ण जानकारी वादी रामगोपाल को रहीं हैं तथा रामगोपाल ने उक्त भूमि के सम्बन्ध से खातेदार नारायण का गोद पुत्र बनकर डिक्री सिविल वाद संख्या 30/1979 को प्राप्त कर ली जिसे भी प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर निर्णय दिनाक 14.08 1991 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 30/79 में पारित निर्णय को अपास्त करवा दिया हैं। उक्त निर्णय की जानकारी के समय से हीं वादी संख्या 1 रामगोपाल को व उसके सहखातेदारों को खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 विस्वा की भूमि प्रतिवादी संख्या । सोनी देवी के नाम होने की पूर्ण जानकारी रही हैं जो निर्णय अन्तिम हो चुके हैं। उन निर्णय को छुपाकर मिथ्या वाद कारण वर्णित

कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

करते हुये बिना किसी अधिकार के वादीगण ने उक्त वाद आधारहीन रूप मे पेश किया हैं जो खारीज किया जावें चूंकि जो भूमि जरिये डिक्री प्राप्त हुई हैं उस भूमि को इस न्यायालय द्वारा सोनी देवी के खातेदारी से कम करने का अधिकार नहीं हैं तथा सोनी देवी द्वारा भी जरिये पंजिकृत विक्रय पत्रों द्वारा भूमि का बेचान किया जा चुका हैं जिनके नाम खातेदारी होने पर उन्होने जरिये विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र से रजिस्ट्री करवा दी हैं जिसमे प्रतिवादी संख्या 4 बरूहे खातेदार हैं ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय एवं डिक्री जो सोनी देवी ने प्राप्त कर रखीं हैं उनको सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते हैं तब तक एवं प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में पंजीकृत विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय से वादीगण निरस्त नहीं करवा लेते तब तक वादीगण को वादांकित भूमि से कोई भी हक अधिकार नहीं हैं। वादीगण ने मिथ्या आधारों पर बनावटी वाद कारण बना कर पूर्व निर्णय को छुपाकर वाद पेश किया हैं जो वाद खारीज किया जावें। वादी का वाद में वर्णित खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 03.02.1992 से रहीं हैं जिस निर्णय के 24 वर्ष बाद वाद का मद संख्या 4 बनावटी बनाकर दिनांक 21.12.2012 पटवारी से मिलने पर गलत इन्द्राज की जानकारी से वाद कारण उत्पन्न बताकर वाद पेश किया जो गलत हैं बिना वादकारण उत्पन्न हुये हीं मिथ्या आधार पर वाद पेश किया हैं जो विधि बाधित वाद हैं कानूनन् खारीज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये निर्णय व डिक्री खसरा नंबर 240 की भूमि प्राप्त हुई हैं जिसका बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किया जा चुका हैं जिस निर्णय व पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त सक्षम सिविल वाद से कराये बिना इस न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये निर्णय व डिक्री खसरा नंबर 240 की भूमि प्राप्त हुई हैं जिसका बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किया जा चुका है जिस निर्णय व पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त सक्षम सिविल वाद से कराये बिना इस न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है तथा जवाब दाव मे अंकित किया कि बाद पत्र का मद संख्या 1 वादी द्वारा जिस प्रकार से वर्णित किया गया है उनमें सम्पूर्ण तथ्य वर्णित नहीं किया कि नारायण व लाद्या कब व किस सम्वत् में खसरा नंबर 240 के खातेदार काश्तकार थे। पूर्ण तथ्य वर्णित नहीं करने से मद सख्या 1 अस्वीकार है। वाद पत्र का मद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं आधारहीन होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये निर्णय दिनांक 03.02.1992 को प्राप्त हुई हैं जिसे प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को विक्रय पत्र से बेचान किया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान किया है जो पंजीकृत विक्रय पत्र हैं उन्हें राजस्व न्यायालय को निरस्त किये बिना वादीगण का वाद डिक्री नहीं किया जा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सकता है तथ उन्न न्यायालय को प्रतिवादी सोनी देवी के हक में वैध निर्णय दिनांक 03. 02.1992 से प्राप्त भूमि को निरस्त करने व सोनी देवी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त कर वादीगण को खसरा नंबर 240 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने का इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं हैं तथा वादीगण को जब सोनी देवी के हक में डिक्री से खसरा नंबर 240 रकबा 1. बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी की डिक्री में 1/2 हिस्सा सोनी देवी को व 1/2 हिस्सा की खातेदारी नाथू पुत्र खैरू को घोषित किया उसी समय दिनांक 03.02.1992 के निर्णय के विरुद्ध अपील करनी चाहिये इतने लम्बे समय 24 वर्ष बाद वादीगण को वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं वादीगण का वाद खारीज किया जावें । वाद पत्र का मद संख्या 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है आधारहीन होने से अस्वीकार है प्रतिवादी संख्या 1 को विधि अनुसार निर्णय दिनाक 03.02.1992 को डिक्री प्राप्त हुई हैं जिसकी वादीगण को पूर्ण जानकारी रहीं हैं तथा वादीगण रामगोपाल भी तत् समय अपने आपकों नारायण का दत्तक पुत्र बता कर खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बित्वा में नारायण का 1/2 हिस्सा बताकर खातेदारी अपने नाम लगाई जिसमें वह एस्टोपड़ हैं तथा दत्तक रो वादी रामगोपाल को प्राप्त भूमि निरस्त कर दी गई हैं। यह वाद वादीगण ने मिथ्या आधारों पर विधि के प्रतिपादीत सिद्धान्तों के बाद पेश किया जो खारीज किया जावे राजस्व अपील अधकारी की अपील संख्या 18/1988 का पारित निर्णय दिनांक 03.02.1992 को निरसत किये बिना एवं सिविल न्यायालय से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विक्रय पत्रों को निरस्त करवाये बिना वादीगण का वाद इस न्यायालय द्वारा डिक्री नहीं किया जा सकता तथा वादीगण का बाद विधि बाधित होने से खारीज किया जावें । वाद पत्र का मद संख्या 4 आधारहीन कपोल कल्पित होने से अस्वीकार हैं गलत रिकार्ड का ज्ञान पहले नहीं था का तथ्य भी अस्वीकार हैं। निर्णय दिनांक 03.02.1992 की वादीगण को जानकारी रहीं हैं। दिनांक 21.12.2012 व दिनांक 25.08.2013 की घटना भी बनावटी हैं जो पूर्व के निर्णय दिनाक 03.02.1992 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी 1/2 सोनी देवी के नाम करने व वादी रामगोपाल का खातेदारी से नाम हजफ का निर्णय दिनांक 03.02.1992 को वादीगण की मौजूदगी में निर्णय किया गया है। उक्त निर्णय के तथ्य छुपाकर बनावटी वाद कारण में वाद पेश किया है जिसकी प्रारम्भिक आपत्ति प्रतिवादी की ओर से की गई हैं जिस आधार पर व वादीगण का वाद मिथ्या आधारों व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने व विधि बाधित होने से वादीगण का वाद खारीज किया जावें । वाद पत्र का मद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं अस्वीकार हैं। न्यायालय से वाद सहीं प्रकार अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया था। प्रतिवादी सोनी देवी को डिक्री से भूमि प्राप्त हुई हैं जो डिक्री प्रभाव में रहते वादीगण को वाद डिक्री कराने का अधिकार नहीं हैं तथा प्रतिवादी के जरिये

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

पंजिकृत विक्रय पत्र से खातेदारी प्राप्त हुई हैं जिसे मात्र सिविल न्यायालय ही विक्रय पत्रों को निरस्त कर सकता हैं तथा प्रतिवादी सोनी देवी के नाम राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री से भूमि प्राप्त हुई है जिसको निरस्त करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। बाद पत्र का मद संख्या 6 अस्वीकार हैं। वादीगण का वादांकित भूमियों के सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 03.02.1992 जो सोनी देवी के पक्ष में हुआ हैं रहते वाद पेश करने का अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने का वादीगण को अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 240 पर कब्जा काश्त हैं जिनको वादीगण इस वाद द्वारा प्रतिबंधित नहीं करवा सकता है तथा वादीगण का वाद मिथ्या आधारों पर होने से वाद खारीज किया जावें। बाद पत्र का मद सख्या 7 आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या। सोनी देवी को खातेदारी गलती से नाम दर्ज नहीं हुई बल्कि वादीगण को सुना जाकर निर्णय व डिकी दिनाक 03.02 1992 के द्वारा खातेदारी प्राप्त हुई हैं जिसे इस न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है तथा विक्रय पत्र डिक्री से प्राप्त भूमि के किये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री से प्राप्त भूमि को प्रतिवादी सख्या 2 ता 3 ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद किया है जो विक्रय पत्र प्रभाव में हैं तथा उन विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक में नामान्तकरण खोले गये हैं जो अभी भी प्रभाव में हैं जिनकों प्रभाव में रहते हुये व उनकों निरस्त करवायें बिना एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजिकृत विक्रय पत्र के रहते वादीगण को वादांकित भूमि में कोई अधिकार नहीं है तथा इस न्यायालय द्वारा सोनी देवी की डिक्री को निरस्त करने का अधिकार नहीं हैं और ना हीं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार हैं तथा सोनी देवी की डिक्री को निरस्त करने का इस न्यायालय को अधिकार हीं नहीं तो वादी का वाद खारीज किया जावें। चूंकि सोनी देवी के नाम खातेदारी डिक्री से प्राप्त हुई हैं जिसे गलती से खातेदारी सोनी देवी के लगने के कथन वादी करके आये हैं जो गलत हैं तथा डिक्रीसे प्राप्त हिस्से का ही बेचान हुआ जो डिक्री से अधिक खातेदारी सोनी देवी को प्राप्त नहीं हुई तो अधिकारों से अधिक भूमि बेचान करने के तथ्य अपने आप में मिथ्या हैं इस आधार पर भी वादीगण का वाद खारीज किया जावें। वाद पत्र का मद संख्या 9 अस्वीकार हैं। निर्णय व डिक्री से दिनांक 03.02.1992 को सोनी देवी को भूमि प्राप्त हुई हैं जो रिकार्ड निर्णय व डिक्री से अधिक सोनी देवी को प्राप्त नहीं हुआ है तथा जो हिस्सा निर्णय व डिक्री से प्राप्त हुआ हैं उसी का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को किये गये हैं तथा कानूनन् किसी व्यक्ति को निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदारी दी जाती हैं तो उस व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि जो डिक्री से प्राप्त हुई है उस डिक्री को निरस्त किये बिना दुरस्त रिकार्ड नहीं किया जा सकता है सोनी देवी के हक में जारी निर्णय दिनांक 03.02.1992 को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है तथा सोनी देवी की डिक्री निरस्त किये बिना वादीगण को खातेदारी घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है लिहाजा वादीगण का वाद खारीज किया जायें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतः वाद पत्र का मद संख्या 15 के उपचरण क,ख,ग, में चाहा गया अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण का वाद खारीज किया जावें।

वाद वकिल वादीगण द्वारा जवाब प्रारम्भिक आपत्तियां मय जवाब उल जवाब पेश किया। वकिल वादीगण ने अपने जवाब प्रारम्भिक आपत्तियां में अंकित किया कि मद संख्या 1 में वणित सिविल न्यायालय में वाद संख्या 30/1979 में डिकी होने का कथन, उच्च न्यायालय द्वारा डिकी अपास्त किये जाने का कथन राजस्व रिकार्ड में से रामगोपाल दत्तक पुत्र नारायण का नाम हजफ करने के आदेश होने के कथन स्वीकार है, परन्तु उक्त निर्णय नारायण के गोद पुत्र होने या नहीं होने के बिन्दु से संबंधित है एवं नारायण के हिस्से की भूमि का खातेदार होने या नहीं होने से संबंधित है उक्त निर्णयों को वादी संख्या 1 रामगोपाल ने ससम्मान स्वीकार किया है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण नारायण द्वारा बैचान की गयी भूमि के बाद बची हुई भूमि में हिस्सा गलत दर्ज होने का है नारायण के वारिस या उत्तराधिकारी या उसके हिस्से की खातेदारी भूमि को रामगोपाल या अन्य वादीगण ने क्लेम नहीं किया है। वादीगण रामगोपाल ही उक्त प्रकरणों में पक्षकार था वादी संख्या 2. 3 नहीं थे। वादीगण को ज्ञात नहीं था कि कितना हिस्सा अलग कर दिया गया कितना दर्ज है एवं गलत दर्ज होने का इल्म नहीं था वादीगण पढे लिखे नहीं है। उक्त निर्णयों का वास्ता प्रस्तुत प्रकरण से नहीं होने से अनावश्यक उनका उल्लेख किया जाना प्रारम्भिक नहीं है। मद में वर्णित यह भी अस्वीकार है कि विक्रयपत्रों को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाना अनिवार्य एवं राजस्व न्यायालय वाद की सुनवाई करने में सक्षम नहीं है। वादीगण ने मुख्य अनुतोष खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है तथा आनुशगिक अनुतोष विक्रयपत्रों को शून्य प्रभावी घोषित करना चाहा गया है जो अनुतोष राजस्व न्यायालय प्रदान करने हेतु सक्षम है. वादीगण ने विकयपत्रों को निरस्त करने हेतु नहीं बल्कि विक्रयपत्रों को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी घोषित करने हेतु आनुशगिक अनुतोष चाहा है जो श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वादीगण ने कोई तथ्य छुपाकर वाद पेश नहीं किया है। वादी रामगोपाल ही उक्त प्रकरणों में पक्षकार था जो दत्तक का बिन्दु था उसमें हिस्से गलत दर्ज होने का कोई बिन्दु नहीं था. ना ही वादी रामगोपाल इतना पढा लिखा है कि वह हिस्सों में हुई गडबडी को समझ सकता और ना ही वादी संख्या 2, 3 उसमें पक्षकार, थे वादी संख्या 2, 3 को जानकारी पहले होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहां यह वर्णित किया जाना भी प्रासंगिक है कि अपने हक की घोषणा के लिए कोई मियाद प्रावधित नहीं है, खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ मियाद अधिनियम में समय सीमा अनुज्ञेय नहीं है। वाद विधि विरूद्ध नहीं है। मद संख्या 3 का जवाब उपरोक्त जवाब के मद संख्या 1 में उल्लेखित प्रकार से यह है कि विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है अधिकार विहिन किये गये विक्रय पत्र को वैद्य अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी घोषित करने हेतु श्रीमान न्यायालय सक्षम है तथा विकय पत्रों को निरस्त किये बिना भी खातेदारी घोषणा का निस्तारण किया जा सकता है।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तथा वकील वादीगण ने अपने जवाब उल जवाब में अंकित किया कि जवाब दावे के मद संख्या 2 में विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वाद डिक्री किया जाने की आपत्ति उठाई गयी है जो विधिक रूप से अस्वीकार है क्योंकि राजस्व न्यायालय घोषणा के वाद में आनुशंगिक अनुतोष के रूप में विक्रय पत्र को शून्य प्रभावी घोषित कर सकता है, वादी ने निरस्त किये जाने विकय पत्र वाद पेश नहीं किया है। वादी के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी घोषित करने हेतु आनुशंगिक अनुतोष चाहा है। जहां त्तक पूर्व निर्णयों का प्रश्न है वह प्रश्नगत बिन्दु पर नहीं थे, ना ही उसमें सोनी के ज्यादा हिस्सा दर्ज होने का प्रश्न था. वह दत्तक का प्रश्न था जिसे न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है उसे वादी ने स्वीकार किया है परन्तु खसरा नं. 240/2 में हिस्सा 139/418 के स्थान पर हिस्सा 1/2 दर्ज होने का प्रश्न पहले निस्तारित नहीं हुआ है। वादी अपने खातेदारी घोषणा का वाद कभी भी क्लेम कर सकता है इसमें समय सीमा बाधित नहीं है। जवाब दावा के मद संख्या 3 में वर्णित कथनों में 3-2-1992 के निर्णय से वादी के एस्टोप्ड होने की बात स्वीकार है परन्तु जो हिस्सा गलत दर्ज था उसे दुरुस्त करवाने का वादी अधिकारी है, वादी के नाम नारायण की भूमि दर्ज होने तथा बाद में सोनी के नाम दर्ज होने से गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का अधिकार वादी का समाप्त नहीं होता, ना ही वह इस बात से विबन्धित है कि सोनी का हिस्सा जो गलत दर्ज है उसे ही माना जाने हेतु वादीगण बाध्य हो। जो कि तथ्यों से स्पष्ट है कि नारायण ने 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बैचान कर दिया था तो शेष भूमि 10 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 1/2 कैसे हो सकता है ऐसा शून्य प्रभावी इन्द्राज कभी भी दुरूस्त करवाया जा सकता है और सम्पूर्ण खातों के उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होना भी उपधारित नहीं किया जा सकता वादी पढा लिखा नहीं है, ना ही हिस्से बटा का हिसाब समझता है जब जानकारी में आया तभी वास्तविक अधिकारों की घोषणार्थ वाद पेश करने हेतु सक्षम है। प्रतिवादी संख्या 2. 3 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि कय किये जाने के कारण उनकी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती गलत एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है केता विक्रेता के पद चिन्हो पर अपने अधिकार स्थापित करता है एवं केता के वास्तविक अधिकार ही हिस्सा 1/2 के नही थे तो वह हिस्सा 1/2 का बैचान नहीं कर सकता है और रिकार्ड में गलती से दर्ज हिस्सा बैचान कर देने से केता को अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योकि ऐसा विकय अधिकार विहिन है। डिकी के तहत सोनी देवी को भूमि प्राप्त होने का कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि सोनी देवी को नारायण की वारिस माना जाकर नारायण की सम्पत्ति प्राप्त हुई परन्तु नारायण जो भूमि बैचान कर दी और रिकार्ड में ज्यादा हिस्सा दर्ज रहा तो वास्तविक हिस्सा सोनी को प्राप्त हुआ। नारायण के जीवन काल में हुई त्रुटि को भी वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। यदि वास्तविक अधिकारों से अधिक हिस्से का इन्द्राज रहा हो तो उक्त कथित डिकी द्वारा सोनी को उत्तराधिकारी मानने से त्रुटि को दुरूस्त करवाने के अधिकार समाप्त नहीं होते। डिकी निर्णय द्वारा नारायण का उत्तराधिकारी होने का प्रश्न

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
रामगढ़ जयपुर

निस्तारित किया गया था वादांकित भूमि में वास्तविक हिस्सों का निस्तारण नहीं किया गया जो नारायण की भूमि थी वही सोनी की घोषित की गई, यदि नारायण के हिस्से को दुरूस्त करवाया जा सकता है तो सोनी के उत्तराधिकारी घोषित होने पर उसके खिलाफ भी वाद पेश किया जा सकता हैं।

अतः जवाब बुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाव दावे में अंकित अतिरिक्त प्रतिवाद के कथनों को अस्वीकार कर तथा प्रारम्भिक आपत्तियों को खारिज कर वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

वादीगण के वाद व प्रतिवादी के जवाब एवं जवाब उल जवाब के अनुसार दिनांक 15/10/2019 को न्यायालय द्वारा निम्न तनकी कायम की गई।

तनकी संख्या 1 – आया खसरा नं. 240 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में हिस्सा 1/2 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बैचान सोनी के पति नारायण ने महादेव को कर दिया था एवं इसके बाद पृथक हुये खसरा नं. 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 139/418 ही नारायण का शेष था।

जिम्मेवादी

तनकी संख्या 2 – आया वादीगण का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 240/2 में हिस्सा 279/418 दर्ज होना चाहिये था।

जिम्मेवादी

तनकी संख्या 3 – आया खसरा नं. 240/2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/2 खातेदारी गलत दर्ज हुई।

जिम्मेवादी

तनकी संख्या 4 – यह कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को किया गया वैचन वादीगण के अधिकारों के विपरीत शून्य प्रभावी है।

जिम्मेवादी

तनकी संख्या 5 – आया वादी रामगोपाल ने स्वयं को नारायण का दत्तक पुत्र बताकर खसरा नं. 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा अपने नाम दर्ज करवाई थी जिसें निर्णय दिनांक 03-02-1992 से खारिज किया गया। सिविल कोर्ट में वाद संख्या 30/79 की निर्णय डिकी को हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 14-08-91 अपास्त कर दिया गया था, उक्त निर्णयों में रामगोपाल पक्षकार था, सभी निर्णयों की जानकारी रामगोपाल को रही है जिन्हें छुपाकर यह वाद पेश किया। वादीगण एस्टोयल के सिद्धान्त से वाधित है। वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जिम्मेप्रतिवादी

तनकी संख्या 6 – आया जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं करवा लेते न्यायालय हाजा को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 7 – आया वाद कारण के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 8 – आया सोनी देवी का हिस्सा 1/2 की खातेदारी नाथू पुत्र खैरू को घोषित किया गया उसी समय दिनांक 03-02-1992 के निर्णय के विरूद्ध अपील किये

अतिरिक्त कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खातीपुरा जयपुर

बिना 24 वर्ष बाद वादीगण को वाद पेश करने का अधिकार नहीं है एवं वादीगण उक्त निर्णय से एस्टोप्ड है।

तनकी संख्या 9 – आया पूर्व निर्णित वादो में वादी संख्या 2 ता 3 पक्षकार नहीं थे, एवं पूर्व निर्णीत वाद नारायण के उत्तराधिकारीयों के प्रश्न के थे प्रस्तुत वाद नारायण के उत्तराधिकार के आधार पर खातेदारी का नहीं है, गलत हिस्से दर्ज होने का प्रश्न है इसलिए पूर्ण निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण पर विबन्ध के सिद्धान्त के रूप में लागू नहीं होते।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 10 – आया विक्रय पत्रों को शून्य प्रभावी कराने हेतु आनुशंगिक अनुतोष चाहा गया है इसलिए वादी को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 11 – आया वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकार तय करने में समय सीमा बाधित नहीं है।

तनकी संख्या 12 – अन्य अनुतोष क्या होगा।

तनकी संख्या 13 – आया न्यायालय को प्रतिवादी सोनी देवी के हक में वैध निर्णय दिनांक 03/02/1992 से प्राप्त भूमि को निरस्त करने व सोनी देवी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त कर वादीगण को खसरा नम्बर 240 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है।

जिम्में प्रतिवादी

वादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्लू–1 पेश कर निवेदन किया। तथा शपथ पत्र के समर्थन में प्रदर्श ए–1 पेश किया। तथा अंकित किया कि विवादित भूमि जो पहले खतरा नंबर 240 रकबा 13 बीधा 19 बिश्वा थी, उसमें हिस्सा 1/2 के खातेदार नारायण ने अपने हिस्से में से 3 बीचा 10 बिस्वा भूमि महादेव पुत्र छीतर को बेची थी, जिसके बाद महादेव के नाम उसकी खरीदशुदा भूमि को खसरा नंबर 240/1 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा खसरा नंबर 40 से पृथक कर दी गयी थी और खसरा नंबर 240/2 10 बीघा 9 बिस्वा की भूमि पृथक कर दी गयी। जिसके बाद नारायण जिसने 3 बीधा 10 बिस्वा भूमि महादेव को बेच दी थी उसके बाद नये खसरा नंबर 240/24 नारायण का हिस्सा 139/418 ही रहा था। परन्तु रिकार्ड में वादीगण के नाम आधा हिस्सा भूमि दर्ज की गयी ओर महादेव के नाम भी आधा हिस्सा भूमि दर्ज कर दी गयी जो कि इन्द्राज गलत है। नारायण के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/2 गलत आधार पर दर्ज थी उसे प्रतिवादिया सोनी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 माया व रूकमनी को बेच दी। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 य 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दी। अतः राजस्व रिकार्ड में हो रही गलती को दुरूस्त करके भूमि खसरा नंबर 240/2 के रिकार्ड में हम वादीगण का हिस्सा 279/418 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 139/418 अंकित किया जाना आवश्यक

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जगतपुरा जयपुर

है। इसलिए वादीगण का वाद डिकी कर सही हिस्से दर्ज फरमाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। उक्त वादी से वकिल प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह की गई।

तथा प्रतिवादी रामचरण साहू पुत्र कजोडमल साहू द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र डीडबल्यू– 01, प्रतिवादी किशनलाल शर्मा पुत्र भोरीलाल शर्मा ने साक्ष्य शपथ पत्र डीडबल्यू– 02 तथा प्रतिवादी सत्यनारायण शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा ने साक्ष्य शपथ पत्र डीडबल्यू– 03 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी रामगोपाल ने उक्त वाद से पूर्व पहले अपने आप को नारायण का दत्तक पुत्र बताकर खातेदारी अपने नाम करवा ली थीं, तब खसरा नंबर 240 में रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा हीं था उस समय प्रतिवादी संख्या 1 मेरी बुआजी सोनी देवी ने राजस्व अपील अधिकारी के अपील संख्या 18/1988 पेश कर अपने आपको खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा के साथ अन्य नम्बरों की खातेदारी डिक्री 1/2 हिस्से की प्राप्त की तथा 1/2 हिस्से की डिक्री नाथू पुत्र खैरू ने प्राप्त की तथा राजस्व रिकार्ड यादी रामगोपाल का नाम हजफ करने के आदेश दिये इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को वादांकित भूमि खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा जरिये निर्णय दिनांक 03.02 1992 को प्राप्त हुई जिस डिक्री की पूर्ण जानकारी वादी रामगोपाल की रहीं हैं तथा रामगोपाल ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदार नारायण का गोद पुत्र बनकर डिक्री सिविल वाद संख्या 30/1979 को प्राप्त कर ली जिसे भी प्रतिवादी संख्या 1 मेरी बुआजी सोनी देवी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर निर्णय दिनांक 14.08.1991 को अधिनस्थ दिया हैं। उक्त निर्णय की जानकारी के समय से हीं वादी संख्या 1 बीघा 9 बिस्वा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोनी देवी के नाम होने की पूर्ण जानकारी रहीं हैं जो निर्णय अन्तिम हों चुके हैं। उन निर्णय को छुपाकर मिथ्या वाद कारण वर्णित करते हुये बिना किसी अधिकार के वादीगण ने उक्त वाद आधारहीन रूप से पेश किया हैं जो खारीज किया जावें चूंकि जो भूमि जरिये डिक्री प्राप्त हुई हैं उस भूमि को इस न्यायालय द्वारा सोनी देवी के खातेदारी से कम करने का अधिकार नहीं हैं तथा सोनी देवी द्वारा भी जरिये पंजिकृत विक्रय पत्रों द्वारा भूमि का बेचान किया जा चुका हैं जिनके नाम खातेदारी होने पर उन्होने जरिये विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र से रजिस्ट्री करवा दी हैं जिसमे प्रतिवादी संख्या 4 बरूहे खातेदार हैं ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय एवं डिक्री जो सोनी देवी ने प्राप्त कर रखीं हैं उनकों सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते हैं तब तक एवं प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में पंजीकृत विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय से वादीगण निरस्त नहीं करवा लेते तब तक वादीगण को वादांकित भूमि से कोई भी हक अधिकार नहीं हैं। वादीगण ने मिथ्या आधारों पर बनावटी वाद कारण बना कर पूर्व निर्णय को छुपाकर वाद पेश किया हैं जो वाद खारीज किया जावे। उक्त तथ्यों की मुझे पूर्ण रूप से जानकारी होने से मैं अपने बयान दे रहा हूँ। प्रतिवादी संख्या 1 को विधि अनुसार निर्णय दिनांक 03.02.1992 को डिक्री प्राप्त हुई हैं जिसकी वादीगण को पूर्ण जानकारी रहीं हैं तथा वादीगण रामगोपाल भी उस समय अपने आपकों नारायण का दत्तक पुत्र बता कर खसरा नंबर 240 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में नारायण का 1/2 हिस्सा बताकर खातेदारी अपने नाम लगाई जिसमें वह एस्टोपड़ थ्रस्तक से वादी रामगोपाल को प्राप्त भूमि निरस्त कर दी गई वाद वादीगण ने मिथ्या आधारों पर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जगतगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तोंके वाद पेश किया जो खारीज किया जावें राजस्व अपील अधकारी की अपील संख्या 18/1988 का पारित निर्णय दिनांक 03.02. 1992 को निरसत किये बिना एवं सिविल न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विक्रय पत्रों को निरस्त करवाये बिना वादीगण का वाद इस न्यायालय द्वारा डिक्री नहीं किया जा सकता तथा वादीगण का वाद विधि बाधित होने से खारीज किया जावें । उक्त प्रतिवादीगण से वकिल वादीगण के द्वारा जिरह की गई।

वकिल उभय पक्ष द्वारा की गई बहस व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियों का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है:-

तनकी संख्या 1– नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 01/12/1971 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 के खातेदार नारायण ने 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि बैचान कर दी। जिसके पश्चात छीतर का खाता उक्त भूमि मे से पृथक कर खसरा नम्बर 240/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा नारायण की भूमि खसरा नम्बर 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा पृथक रही। जिसमें लादया का हिस्सा 1/2 अर्थात 279/418 और नारायण का शेष हिस्सा 139/418 दर्ज होना था परन्तु जमाबन्दी के रिकार्ड में जो भूमि नारायण ने छीतर को बैचान कर दी थी उसको पृथक खाता बनाये जाने के पश्चात खसरा नम्बर 240/2 मे भी हिस्सा 1/2–1/2 नारायण व लादया का दर्ज किया गया। बैचान की गई भूमि को नारायण के हिस्से मे से कम किया जाना आवश्यक था इस प्रकार नारायण का वास्तविक हिस्सा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 139/418 की वास्तविक हिस्सा है। अतः तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णत कि जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3– यह कि उक्त तनकी संख्या 1 के विवेचन एवं निष्कर्ष के अनुसार नारायण के वारिस सोनी देवी के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 गलत इन्द्राज के आधार पर अंकित है। जिसका हिस्सा 139/418 दर्ज होना चाहिये था और वादी का हिस्सा 279/418 दर्ज होना चाहिये था इस प्रकार तनकी संख्या 2 व 3 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 4– यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वास्तविक हिस्से में अधिक भूमि रिकार्ड में दर्ज होने से उसने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को भूमि का बैचान किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाद में प्रतिवादी संख्या 4 को बैचान किया जो वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी है। वास्तविक खातेदारी अधिकारों से अधिक भूमि का बैचान करने मात्र से वास्तविक अधिकारी के खातेदारी अधिकरों को समाप्त नही किया जा सकता है इस प्रकार तनकी संख्या 4 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 व 9– यह कि निर्णय दिनांक 03/02/1992 और 14/08/1991 की प्रतियां पत्रावली में पेश नही की गई है। इसलिये तनकी संख्या 5 के सम्बंध में एप्टोपल के सिध्दांत के संबंध में निर्णय पारित किया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि उक्त प्रकरणों में क्या तथ्य थे क्या निर्णय पारित किया गया यह न्यायालय के सामने लिखित कथनों के अलावा अन्य कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किये गये है इसलिये तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के विरूध्द तय की जाती है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जगतपुरा जयपुर

तनकी संख्या 6 व 10, 13– यह कि धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी घोषणा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का होने पर उस पर आधारित अन्य अनुतोष विकय पत्र के शुन्य घोषित करने का है जो द्वितीय अनुतोष है। इसलिए मुख्य अनुतोष के साथ ही विकय पत्र को शून्य घोषित किये जाने का आनुशांगिक का अनुतोष के संबंध में विचार करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। इसप्रकार तनकी संख्या 6 व 10, 13 वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूध्द तय की जाती है।

तनकी संख्या 7, 8 व 11– जिस निर्णय दिनांक 03/02/1992 का हवाला जवाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया है उसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में पेश नहीं की गई है। और खातेदारी अधिकरों की घोषणा के लिए मर्यादा अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नही है और वादीगण ने वाद पत्र के मद संख्या 4 एवं 10 में अंकित प्रकार वाद प्रकरण अंकित किया है जिसका किसी साक्ष्य द्वारा खण्डन नही किया गया है इसलिए वाद मियाद बाहर नहीं माना जा सकता है। वाद पत्र के मद संख्या 4 व 10 में वाद प्रस्तुती हेतु वाद कारण अंकित किया गया। जिसका खण्डन साक्ष्य द्वारा सिध्द नही किया गया है। इसप्रकार तनकी संख्या 7, 8 व 11 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा ग्राम सायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील जमवारामगढ हाल आंधी में वादीगण को हिस्सा 279/418 हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार आंधी को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड को दुरस्त कर वादीगण का हिस्सा 279/418 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 139/418 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। एवं वादीगण के अधिकारों के विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित विकय पत्र एवं राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वह वादीगण के उक्त हिस्से की भूमि में खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जिला जयपुर

बइजलास श्री राजेश मीना **R.A.S**

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
53/2016	12.07.2016	24.11.2025

1- रामगोपाल पुत्र स्व० लादया
2- रामकिशोर पुत्र स्व० लादया
3- कैलाश पुत्र स्व० लादया
समस्त जातियान् हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सायपुर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1- सोनी देवी पत्नि स्व० नारायण
2- माया देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद
3- रूकमणी देवी पत्नि सत्यनारायण
समस्त जातियान् हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सायपुर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
4- रामचरण साहू पुत्र श्री कजोड़मल साहू जाति तेली, निवासी आधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उप तहसील आधी जिला जयपुर ।
6- उपपंजीयक आंधी उप तहसील आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वादी वकील – श्री राजेश कुमार पारीक
प्रतिवादीगण वकील – श्री रामकरण शर्मा

दावा बाबत, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 सपठित धारा 207
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेश मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री राजेश कुमार पारीक वादी अधिवक्ता एवं श्री रामकरण शर्मा प्रतिवादीगण अधिवक्ता पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

240/2 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा ग्राम सायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील जमवारामगढ हाल आंधी में वादीगण को हिस्सा 279/418 हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार आंधी को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड को दुरस्त कर वादीगण का हिस्सा 279/418 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 139/418 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। एवं वादीगण के अधिकारों के विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र एवं राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वह वादीगण के उक्त हिस्से की भूमि में खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़